कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: / स्था0–1 / पेंशन पुर्नरीक्षण / 2017–18 दिनांक: 16.10.17

समस्त अपर निदेशक ग्रेड– II,
समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– वर्ष 2016 के पूर्व पेंशन / पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन का पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशन भोगियों आदि की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 39 / 2016–सा–3–923 / दस–2016–308 / 2016 दिनांक 23.12.2016, शासनादेश संख्या 23 / 2017 / सा–3–329 / दस–2017 / 308 / 2016 दिनांक 18.07.2017 एवं शासनादेश संख्या 31 / 2017 / सा–3–524 / दस–2017–308(8) / 2016 दिनांक 04.09.2017 द्वारां निर्गत किये जा चुके है। इसमें दी गयी व्यवस्था के अनुसार शासनादेश दिनांक 23.12.2016 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन संशोधन के साथ–साथ एक अन्य प्रक्रिया के अनुसार भी पेंशन का संशोधन किया जायेगा एवं दोनो विधियों से पेंशन संशोधन किये जाने पर दिनांक 01.01.2016 से सम्बन्धित / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की वह धनराशि अनुमन्य होगी जो अधिक होगी।

उक्त शासनादेशों में दी गयी उस अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पहले सेवा निवृत्त / मृत्यु उ0प्र0 के सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा धारित वेतनमान में आहरित अन्तिम वेतन का प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा उन कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति / मृत्यु की तिथि के उपरान्त जब–जब केंन्द्रीय वेतन आयोग की सिंफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया है, तब–तब किया जायेगा। यह वेतन निर्धारण वित्त सा0 अनुभाग–3 के शासनादेश 31 / 2017 / सा–3–524 / दस–2017–308(8) / 2016 दिनांक 04.09.2017 के साथ संलग्न भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 38 / 37 / 2017–पी–एण्ड पी0 डब्लू (ए) दिनांक 06.07.2017 के साथ संलग्न तालिकाओं के आधार पर शासनादेश 23 / 2017 / सा–3–329 / दस–2017 / 308 / 2016 दिनांक 18.07.2017 के अनुसार विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों द्वारा पेंशनरों से बिना आवेदन की अपेक्षा किये इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर तत्काल स्वतः किया जायेगां।

इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पिक वेतन को उपरोक्तानुसार संलग्न प्रारूप पर तैयार कर पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारी यथा–पेंशन निदेशालय / मण्डलीय अपर निदेशक पेंशन, कोषागार, वित्त नियंत्रक अथवा महालेखाकर (जहाँ जैसी स्थिति हो) को प्रेषित कर पेंशन पुर्नरीक्षण की कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेशों की प्रतियां एवं प्राकल्पिक आधार पर वेतन निर्धारण किये जाने विषयक तालिका उ0प्र0 शासन की अधिकृत वेवसाइट **http://Shasnadesh.up.nic.in** से डाउनलोड करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नकः–यथोक्त प्रारूप

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांकः 6192 / स्था0–1 / पेंशन पुर्नरीक्षण / 2017–18 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– संयुक्त निदेशक (प्रशासन) पशुपालन विभाग, मुख्यालय
2– प्रशासनिक अधिकारी स्था0–2, मुख्यालय।
3– श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर पोग्रामर को इस निर्देश के साथ की सभी अधिकारियों को ई–मेल करें।

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

सलग्न - प्रारूप

कार्यालय..

संख्या /वे0प0प्र0................/मि0–4/पेंशनर्स/17–18 दिनांक

सेवा मे,

पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारी का पद नाम
(जहाँ जैसी स्थिति हो)

विषयः– **पशुपालन विभाग के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रकल्पित वेतन वेतन निर्धारण का प्रेषण।**

महादेय,

कृपया वित्त सा0 अनुभाग–3 के अशा0 31/2017/सा–3–524/दस–2017–308(8)/2016 दिनांक 04.09.2017 के साथ संलग्न केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–38/37/2016–P & PW(A) दिनांक 06.07.2017 के साथ संलग्न तालिकाओं में निहित व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवा निवृत्त पशुपालन विभाग के निम्न अधिकारी/कर्मचारी की पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार प्राकल्पिक वेतन निर्धारण किया जा रहा है:–

1.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	
2.	जन्म तिथि	
3.	पेंशन का प्रकार	
4.	पी0पी0ओ0	
5.	पेंशन भुगतान के कोषागार का नाम	
6.	सेवा में नियुक्ति की तिथि	
7.	सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि	
8.	सेवा निवृत्ति के समय धारित पदनाम	
9.	सेवा निवृत्ति के समय अनुमन्य वेतन आयोग	
10.	सेवा निवृत्त के समय अनुमन्य वेतनमान	
11.	सेवा निवृत्त के दिनांक को अन्तिम वेतन	
12.	(क)चतुर्थ वेतन आयोग में अनुमन्य वेतनमान	
	(ख)चतुर्थ वेतन आयोग में प्रकल्पित वेतन	
13.	(क) पंचम वेतन आयोग में अनुमन्य वेतनमान	
	(ख) पंचम वेतन आयोग में प्रकल्पित वेतन	
14.	(क) छठवें वेतन आयोग में अनुमन्य वेतनमान	
	(ख) छठवें वेतन आयोग में प्रकल्पित वेतन	
15.	(क) सातवें वेतन आयोग (दि0 01.01.2016) में अनुमन्य वेतनमान	
	(ख) सातवें वेतन आयोग में (दि0 01.01.2016) प्रकल्पित वेतन	

अतएव अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार दिनांक 01.01.2016 से निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षित करते हुये संशोधित प्रधिकार पत्र सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

कार्यालयाध्यक्ष(पद नाम सहित)

संख्या /वे0प0प्र0................/मि0–4/पेंशनर्स/17–18 दिनांक
प्रतिलिपि उक्त पेंशनर को सूचनार्थ।

कार्यालयाध्यक्ष(पद नाम सहित)